अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 310 / 2012

योगेन्द्र साह —— अपीलार्थी

वनाम

बैद्यनाथ साह एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स / विपक्षीगण

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 24.04.2012 ई० अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 237 / 2011–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि संक्षेप में अपीलार्थी / प्रतिवादी का वाद यह है कि असर्फी साह को दो पुत्र क्रमशः कोकाय साह एवं सुखदेव साह हुए वो फगुनवती देवी कोकाय साह की पत्नी थी वो कोकाय साह को एक लड़का कमल साह था एवं कमल साह को चार पुत्र है जो इस अपील वाद के रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी हैं। असर्फी साह वो उनके पुत्र कोकाय साह एवं सुखदेव साह द्वारा संयुक्त रूप से फगुनवती देवी के नाम से भूमि का क्रय किया गया और वे संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर दखलकार चले आ रहे हैं। हाल सर्वे में खतियान फगुनवती देवी वो सुखदेव साह के नाम से खुला वो सर्वे अमलागण द्वारा भूमि पर सुखदेव साह का दखल पाया गया। जमाबंदी संख्याः 557 फगुनवती देवी वो सुखदेव साह के नाम से कायम है वो अपीलार्थी सुखदेव साह के पुत्र हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे के दौरान सर्वे अमलागन द्वारा दखल कब्जा पाते हुए पक्षकारों के हिस्से के अनुसार खतियान का अंतिम प्रकाशन 1985 में हुआ, हाल सर्वे खतियान का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज को अस्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि खतियान के आधार पर दोनों पक्षों के नाम जमाबंदी चल रही है। जमीन दोनों पक्षों के दखल में हैं अतएवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज का आदेश को गलत एवं अवैध बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि फगुनी देवी उक्त भूमि की मालकिन नहीं थी अतएवं रेस्पोण्डेन्ट / वादी का भूमि का स्त्रीधन के रूप में दावा गलत बतलाते हैं।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी का दावा वंशवृक्ष पर आधारित है अपीलार्थी का यह दावा है कि वे अपने पूर्वज असर्फी साह के वंशज हैं। अतएव उनका खेसरा संख्याः 916 रकवाः 45 डी०, खेसरा संख्याः1389 रकवाः 75 डी०, 1390

रकवाः 27 डी०, कुल रकवाः 01 एकड़ 45 डी० की भूमि पर बराबर हिस्सेदार हैं। किसी व्यक्ति के हिस्से का निर्धारण केवल सक्षम व्यवहार न्यायालय ही किया जा सकता है। निम्न न्यायालय द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत हिस्से का निर्धारण नही किया जा सकता है। अतएव प्रस्तुत वाद के संदर्भ में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि *इन खेसराओं का केडेस्ट्रल सर्वे इन्ट्री पुराना खाता संख्याः 69/2 अंतर्गत खेसरा संख्याः 1000 रघुवीर सिंह, पिता–शिवसहाय सिंह के नाम से दर्ज है। विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रघुवीर सिंह द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांकः 08.04.1940 के माध्यम से पूराना खेसरा संख्याः 1000 की संपूर्ण भूमि डोमी मंडल पिता–मित्तन मंडल के हाथ बिक्री कर दिया गया। इसके बाद डोमी मंडल द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज संख्याः 1164 वर्षः 1951 के माध्यम से उक्त भूमि को फगुनवती देवी पति–कोकाय साह के हाथ बिक्री कर दिया गया, तदोतपरांत भूमि की क्रेता फगुनवती देवी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुई और अपने नाम से बिहार सरकार सिरिस्ता में दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी का भुगतान करती आई।*

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि फगुनवती देवी पति–कोकाय साह अपने एक मात्र पुत्र कमल साह को पीछे छोड़ स्वर्गवासी हो गये वो कमल साह भी अपने चार पुत्र बैद्यनाथ साह एवं अन्य को पीछे छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। कमल साह के चार पुत्र ही इस अपील वाद के रेस्पोण्डेन्ट्स भी हैं। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट्स का स्वत्व वो अधिकार होता है वो भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से दखलकार चले आ रहे हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रिभिजन सर्वे की कार्रवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा सर्वे अमलागण से साठ–गॉठ कर अपने पिता सुखदेव साह के नाम खतियान प्रकाशित करवा लिया।उक्त कि जानकारी होने पर रेस्पोण्डेन्ट द्वारा वाद संख्याः 237/11–12 दायर किया गया जिसमें यह दावा किया गया कि संपत्ति केवल उनसे ही संबंधित है वो नाता रखती है अतएव सुखदेव साह के नाम की प्रविष्टि गलत वो अवैधानिक है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि वाद की सुनवाई के क्रम में अभिलेख वो साक्ष्यों के सम्यक जॉचोपरांत निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 24.04.2012 के माध्यम से उक्त हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। अतएव विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम है वो प्रस्तुत अपील वाद निराधार वो गलत है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्यक है वो अधिनियम के प्रावधानों के अनुकुल है अतएव अपील आवेदन निरस्त करने योग्य है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती फगुनी देवी को स्त्रीधन का मानते हुए प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दियाि गया है जबकि तथ्य यह है कि तथ्य यह है कि स्त्रीधन वह धन है जो स्त्री के द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्जित धन या अपने पति से प्राप्त धन के आधार पर सम्पति अर्जित की गयी हो अपीलार्थी का यह दावा है कि यह संपत्ति संयुक्त परिवार के कारण प्रतिपक्षी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से भूमि कय किया है अतः ऐसी परिस्थिति में स्त्रीधन का लाभ उन्हें देय नहीं है। एवं उन्हें स्त्री धन के संबंध में निर्णय देने का अधिकार हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत व्यवहार न्यायालय में निहित है न कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में। अतः निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2012 को एतद द्वारा रद्द किया जाता है। अपीलवाद स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी स्त्रीधन के आधार पर स्वत्व हक के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा